

15-10-25

पत्रावली पेश हुई। अभिमाषकें गर्धी  
उपस्थित। रेस्टोरेशन गर्धना पत्र पर  
वदस सुनी गई। रेस्टोरेशन गर्धना पत्र  
व शपथ पत्र तथा वदस के आधार पर  
न्यायदित में रेस्टोरेशन गर्धना पत्र स्वीकार  
कर आदेश दिनांक 13-10-2025 को  
रिक्त किया जाकर अपील को रेस्टोरे  
किया जाता है। रेस्टोरेशन गर्धना पत्र  
जम्पर से कम होकर मूल अपील के  
साथ सलग्न है।

1910-  
अतिरिक्त संधायीय अदालत  
रीकार